परिशिष्ट : ए

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर

सत्र वाद संख्या : 254 / 2026

सी0आई0एस0 संख्या–3012 / 2026

सी0एन0आर0 संख्या–BRVA01-003384-2026

निर्णय की तिथि–17.07.2026

साधारण पंजी वाद संख्या–3389 / 2021

बिदुपुर थाना कांड सं0–312 / 2021

अंतर्गत धारा–147, 341, 323, 308, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता

सूचक	मो0 हारून।
अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक	श्री श्यामबाबु राय।
सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री मुंशी राय।
अभियुक्तगण	1–मो0 मोख्तार उम्र–31 वर्ष पेसर–मो0 रहमत, 2–रानी खातून उम्र–24 वर्ष पेसर–मो0 जलील, 3–रौनक खातून उम्र–32 वर्ष पेसर–रहमतुल्ला, 4–गजाला खातून उम्र–28 वर्ष पति–मो0 मोख्तार, 5–शाहजहॉ खातून उर्फ साजा खातून उम्र–39 वर्ष पति–मो0 जलील, 6–रूकसाना खातून उम्र–65 वर्ष पति–रहमतुल्ला, 7–मो0 मुस्ताक उम्र–23 वर्ष पेसर–मो0 जलील एवं 8–मो0 जलील उम्र–45 वर्ष पेसर–मो0 मुस्ताक सभी साकिन–रहिमापुर, थाना–बिदुपुर, जिला–वैशाली।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्रीमती कुमारी पुष्पम्।

17.7.26

अपराध की घटना तिथि	29.06.2021
प्राथमिकी की तिथि	29.06.2021 अंतर्गत धारा–147, 341, 323, 308, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता

आरोप पत्र की तिथि	31.07.2021 अतर्गत धारा–147, 341, 323, 308, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता
संज्ञान की तिथि	20.01.2022 अतर्गत धारा–147, 341, 323, 308, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता
आरोप गठन की तिथि	16.04.2026 अंतर्गत धारा–147/149, 341/149, 323/149, 308/149, 504/149 एवं 506/149 भारतीय दण्ड संहिता
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	04.05.2026
निर्णय पर नियत की तिथि	10.07.2026
निर्णय की तिथि	10.07.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि हो तो	-

परिशिष्ट : बी

<u>अभियुक्तगण का विवरणः–</u>

अभियुक्त का कमांक	A-1
अभियुक्त का नाम	मो0 मोख्तार
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	15.04.2025
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–147/149, 341/149, 323/149, 308/149, 504/149 एवं 506/149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

17.7.26

अभियुक्त का कमांक	A-2
अभियुक्त का नाम	रानी खातून
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	15.04.2025
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–147/149, 341/149, 323/149, 308/149, 504/149 एवं 506/149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के	-

अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	

अभियुक्त का कमांक	A-3
अभियुक्त का नाम	रौनक खातून
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	15.04.2025
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–147 / 149, 341 / 149, 323 / 149, 308 / 149, 504 / 149 एवं 506 / 149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

अभियुक्त का कमांक	A-4
अभियुक्त का नाम	गजाला खातून
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	15.04.2025
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–147 / 149, 341 / 149, 323 / 149, 308 / 149, 504 / 149 एवं 506 / 149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

17.7.26

अभियुक्त का कमांक	A-5
अभियुक्त का नाम	शाहजहाँ खातून उर्फ साजा खातून
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	15.04.2025
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–147 / 149, 341 / 149, 323 / 149, 308 / 149, 504 / 149 एवं 506 / 149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त

दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

अभियुक्त का क्रमांक	A-6
अभियुक्त का नाम	रूकसाना खातून
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	15.04.2025
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–147/149, 341/149, 323/149, 308/149, 504/149 एवं 506/149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

अभियुक्त का क्रमांक	A-7
अभियुक्त का नाम	मो0 मुस्ताक
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	15.04.2025
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–147/149, 341/149, 323/149, 308/149, 504/149 एवं 506/149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

17.7.26

अभियुक्त का क्रमांक	A-8
अभियुक्त का नाम	मो0 जलील
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	15.04.2025
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–147/149, 341/149, 323/149, 308/149, 504/149 एवं 506/149 भारतीय दण्ड संहिता

दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

<u>अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्षीगण की सूची</u>

<u>क–अभियोजन</u>

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी0डब्लू0–01	मो0 हारून	सूचक
पी0डब्लू0–02	अफसाना खातून	साक्षी
पी0डब्लू0–03	मो0 तौहिद	साक्षी
पी0डब्लू0–04	मो0 तनवीर	साक्षी

<u>ख–बचाव पक्ष साक्षीगण</u>

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

<u>ग–न्यायालय साक्षीगण</u>

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

17.7.26

<u>अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय प्रदर्श की सूची</u>

<u>क–अभियोजन</u>

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

<u>ख–बचाव पक्ष</u>

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

घ–वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

उपस्थित : **श्री हर्षित सिंह,**
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में आठ अभियुक्तों के विरूद्व संज्ञानोंपरान्त वाद विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया। सभी आठ अभियुक्तों क्रमशः मो0 मोख्तार, रानी खातून, रौनक खातून, गजाला खातून, शाहजहाँ खातून उर्फ साजा खातून, रूकसाना खातून, मो0 मुस्ताक एवं मो0 जलील को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147/149, 341/149, 323/149, 308/149, 504/149 एवं 506/149 से आरोपित किया गया है। अभियुक्तों को आरोप हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया है, जिससे अभियुक्तों ने इंकार किया तथा वाद विचारण की मांग किए।

17.7.26

2. संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि सूचक और उसके बड़े भाई मो0 रहमतुल्ला के बीच जमीनी संबंधी विवाद पूर्व से चला आ रहा है। उसी विवाद को लेकर दिनांक–29.06.2021 को समय 04.00 बजे शाम में जब सूचक अपने घर के दरवाजे पर बैठा था तभी मो0 मोख्तार, मो0 जलील, मो0 मुस्ताक, रूकसाना खातून, शाहजहाँ खातून, गजाला खातून, रौनक खातून एवं रानी खातून सभी एक राय होकर सूचक द्वारा मना करने पर गाली–गलौज कर मारपीट करने लगे। सूचक का बचाने जब उसका बेटा मो0 तौहिद, मो0 तनवीर एवं पत्नी आये तो लाठी एवं ईंट से मारपीट कर जख्मी कर दिये। हल्ला सुनकर आस–पास के लोगों द्वारा बीच–बचाव किया गया ।

3. सूचक के लिखित आवेदन पर दर्ज बिदुपुर थाना कांड सं0–312/2021 दिनांक–29.06.2021 अंतर्गत धारा–147, 341, 323, 308, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज की गई, पश्चात् विवेचना प्रारंभ की गई। वाद विवेचनोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तों क्रमशः मो0 मोख्तार, रानी खातून, रौनक खातून, गजाला खातून, शाहजहाँ खातून उर्फ साजा खातून, रूकसाना खातून, मो0 मुस्ताक एवं मो0 जलील के विरूद्ध आरोप–पत्र सं0–456/2021 दिनांक–31.07.2021 अंतर्गत धारा–147, 341, 323, 308, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत समर्पित किया गया। दिनांक–20.01.2022 को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा उक्त वाद को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर को दिनांक–16.03.2026 को दौरा सुपुर्द किया गया। दिनांक–16.04.2026 को आठ अभियुक्तों क्रमशः मो0 मोख्तार, रानी खातून, रौनक खातून, गजाला खातून, शाहजहाँ खातून उर्फ साजा खातून, रूकसाना खातून, मो0 मुस्ताक एवं मो0 जलील के विरूद्ध अंतर्गत धारा–147/149, 341/149, 323/149, 308/149, 504/149 एवं 506/149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया तथा अभियुक्तों ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अपने वाद के समर्थन में **कुल 4 (चार)** अभियोजन साक्षी का परीक्षण कराया गया है जो निम्नलिखित हैः–

अभियोजन साक्षी संख्या–01 मो0 हारून (सूचक)
अभियोजन साक्षी संख्या–02 अफसाना खातून (साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या–03 मो0 तौहिद (साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या–04 मो0 तनवीर (साक्षी)

17.7.26

5. अभियोजन की ओर से वाद के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. बचाव पक्ष की ओर से अपने प्रतिरक्षा में किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस के क्रम में समर्पित किया है कि अभियोजन साक्षी संख्या–01 मो0 हारून (सूचक) ने प्रति–परीक्षण में साक्ष्य

दिया है कि थाना में जो आवेदन दिया गया था उसे बिना पढ़े मैंने अपना अँगूठे का निशान बना दिया था। सभी अभियुक्तगण मेरे रिश्तेदार है। घटना के समय कौन किसको कहॉ मारा था मैंने नहीं देखा था। सुलहनामा और अनुमत्ति पत्र पर मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया है, अगर सुलहनामा के आधार पर केस समाप्त कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षियों, अभियोजन साक्षी संख्या–02, 03 एवं 04 ने प्रति–परीक्षण में साक्ष्य दिया है कि विवाद के समय काफी लोग जुट गये थे और किसने किसको मारा मुझे मालूम नहीं है। घटना के पूर्व हमलोगों में आपस में प्रेम भाव था पुनः आपस में प्रेम भाव है। सुलहनामा और अनुमत्ति पत्र में अपनी राजी खुशी से हस्ताक्षर किया। सुलहनामा के आधार पर केस समाप्त कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

8. दूसरी ओर, विद्वान लोक अभियोजक ने अपने बहस में कहा है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्ध किए जाने हेतु पर्याप्त है।

9. सभी आठ अभियुक्तों का धारा 313 दं0प्र0स0 के अंतर्गत बयान अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया है।

10. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को सभी अभियुक्तों के विरूद्ध युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल हुए हैं ?

विश्लेषण

11. **अभियोजन साक्षी संख्या–01 मो0 हारून, जो सूचक है,** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि दिनांक–29.06.2021 को 04.00 बजे शाम में मो0 मुख्तार, मो0 जलील, मो मुस्ताक, रूकसान खातून, शाहजहॉ खातून, गजाला खातून, रौनक खातून एवं रानी खातून जमीन संबंधी विवाद को लेकर मेरे घर पर आकर गाली–गलौज करते हुए मारपीट किये। तब मेरा बेटा मो0 तौहिद, मो0 तनवीर एवं पत्नी अफसाना खातून बचाने आये तो उसके साथ भी मारपीट किये। हम सभी का ईलाज बिदुपुर प्राथमिक स्वाथ्यय केंद्र में हुआ, जिसका मैं अपने गॉव के ही किसी व्यक्ति से लिखवा के आवेदन दिया, जिस पर यह कांड दर्ज हुआ, चूंकि मेरा हाथ उस समय जख्मी था जिस कारण आवेदन पर हस्ताक्षर कर नहीं सका और निशान बनाया था। पुलिस ने मेरा पुनबर्यान लिया था, जिसमें घटना का समर्थन किया था। कंडिका 02 में साक्ष्य दिया

है कि सभी अभियुक्तों को पहचानता हूँ, आज न्यायालय में उपस्थित रूखसाना खातून को पहचानता हूँ और आज जो प्रतिनिधित्व पर है उनको भी पहचानता हूँ।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–3 में साक्ष्य दिया है कि **थाना में जो आवेदन दिया गया था उसे बिना पढ़े मैंने अपना अँगूठे का निशान बना दिया था।** कंडिका–4 में साक्ष्य दिया है कि **सभी अभियुक्तगण मेरे रिश्तेदार है।** कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **घटना के समय कौन किसको कहाँ मारा था मैंने नहीं देखा था।** कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **मो0 ईलयास, मो0 सहज्जद, घर बेच कर चले गये है और रितेश पासवान बाहर रह रहे है।** कंडिका–7 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा और अनुमत्ति पत्र पर मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया है, अगर सुलहनामा के आधार पर केस समाप्त कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।** कंडिका–8 में साक्ष्य दिया है कि **न्यायालय से सम्मन मिलने पर गवाही देने आया हूँ।**

12. **अभियोजन साक्षी संख्या–02 अफसाना खातून** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि मेरे पति और मेरे भाई रहिमतुल्ला के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था। यही विवाद को लेकर दिनांक–29.06.2021 को करीब 04.00 बजे शाम में मेरे पति मो0 हारून घर के दरवाजे पर बैठे थे तभी मो0 मुख्तार, मो0 जलील, मो0 मुस्ताख, रूकसान खातून, शाहजहॉ खातून, गजाला खातून, रौनक खातून एवं रानी खातून मेरे पति के साथ गाली–गलौज एवं मारपीट करने लगे। मैं, मेरा बेटा, मो0 तोहिद एवं मो0 तनवीर बचाने गये तो लाठी, डंडा से मारपीट कर जख्मी कर दिये गये, आस–पास के लोगों के जुटने पर हमलोगों को ईलाज के लिए सदर अस्पताल बिदुपुर लाये गये। कंडिका–2 में साक्ष्य दिया है कि सभी अभियुक्तों को पहचानती हूँ।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–3 में साक्ष्य दिया है कि **सभी अभियुक्त मेरे परिवार के सदस्य है।** कंडिका–4 में साक्ष्य दिया है कि **विवाद के समय काफी लोग जुट गये थे और किसने किसको मारा मुझे मालूम नहीं है।** कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **घटना के पूर्व हमलोगों में आपस में प्रेम भाव था पुनः आपस में प्रेम भाव है।** कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा और अनुमत्ति पत्र में अपनी राजी खुशी से हस्ताक्षर किया।** कंडिका–7 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा के आधार पर केस समाप्त कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।**

17.7.26

13. **अभियोजन साक्षी संख्या–03 मो0 तौहिद** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि मेरे पिता जी और मेरे चाचा रहिमतुल्ला के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था। यही विवाद को लेकर दिनांक–29.06.2021 को करीब 04.00 बजे शाम में मेरे पति मो0 हारून घर के दरवाजे पर बैठे थे तभी मो0 मुख्तार, मो0 जलील, मो0 मुस्ताख, रूकसान खातून, शाहजहॉ खातून, गजाला खातून, रौनक खातून एवं रानी खातून मेरे पिता जी के साथ गाली–गलौज एवं मारपीट करने लगे। मैं,

मेरी माँ और मेरा भाई मो0 तनवीर बचाने गये तो लाठी, डंडा से मारपीट कर जख्मी कर दिये गये, आस–पास के लोगों के जुटने पर हमलोगों को ईलाज के लिए सदर अस्पताल बिदुपुर लये गये। कंडिका–2 में साक्ष्य दिया है कि सभी अभियुक्तों को पहचानता हूँ।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–3 में साक्ष्य दिया है कि **सभी अभियुक्त मेरे परिवार के सदस्य है।** कंडिका–4 में साक्ष्य दिया है कि **विवाद के समय काफी लोग जुट गये थे और किसने किसको मारा मुझे मालूम नहीं है।** कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **घटना के पूर्व हमलोगों में आपस में प्रेम भाव था पुनः आपस में प्रेम भाव है।** कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा और अनुमत्ति पत्र में अपनी राजी खुशी से हस्ताक्षर किया।** कंडिका–7 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा के आधार पर केस समाप्त कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।**

14. **अभियोजन साक्षी संख्या–04 मो0 तनवीर** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि मेरे पिता जी और मेरे चाचा रहिमतुल्ला के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था। यही विवाद को लेकर दिनांक–29.06.2021 को करीब 04.00 बजे शाम में मेरे पति मो0 हारून घर के दरवाजे पर बैठे थे तभी मो0 मुख्तार, मो0 जलील, मो0 मुस्ताख, रूकसान खातून, शाहजहाँ खातून, गजाला खातून, रौनक खातून एवं रानी खातून मेरे पिता जी के साथ गाली–गलौज एवं मारपीट करने लगे। मैं, मेरी माँ और मेरा भाई मो0 तौहीद बचाने गये तो लाठी, डंडा से मारपीट कर जख्मी कर दिये गये, आस–पास के लोगों के जुटने पर हमलोगों को ईलाज के लिए सदर अस्पताल बिदुपुर लये गये। कंडिका–2 में साक्ष्य दिया है कि सभी अभियुक्तों को पहचानता हूँ।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–3 में साक्ष्य दिया है कि **सभी अभियुक्त मेरे परिवार के सदस्य है।** कंडिका–4 में साक्ष्य दिया है कि **विवाद के समय काफी लोग जुट गये थे और किसने किसको मारा मुझे मालूम नहीं है।** कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **घटना के पूर्व हमलोगों में आपस में प्रेम भाव था पुनः आपस में प्रेम भाव है।** कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा और अनुमत्ति पत्र में अपनी राजी खुशी से हस्ताक्षर किया।** कंडिका–7 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा के आधार पर केस समाप्त कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।**

17.7.26

15. **अभियोजन साक्षी संख्या–01 मो0 हारून, जो सूचक है,** ने प्रति–परीक्षण के कंडिका–3 में साक्ष्य दिया है कि **थाना में जो आवेदन दिया गया था उसे बिना पढ़े मैंने अपना अँगूठे का निशान बना दिया था।** कंडिका–4 में साक्ष्य दिया है कि **सभी अभियुक्तगण मेरे रिश्तेदार है।** कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **घटना के समय कौन किसको कहाँ मारा था मैंने नहीं देखा था।** कंडिका–7 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा और अनुमत्ति पत्र पर मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया है, अगर सुलहनामा के आधार पर केस समाप्त कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।**

अभियोजन साक्षी संख्या–02 अफसाना खातून (सूचक की पत्नी) ने प्रति–परीक्षण के कंडिका–3 में साक्ष्य दिया है कि **सभी अभियुक्त मेरे परिवार के सदस्य है।** कंडिका–4 में साक्ष्य दिया है कि **विवाद के समय काफी लोग जुट गये थे और किसने किसको मारा मुझे मालूम नहीं है।** कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **घटना के पूर्व हमलोगों में आपस में प्रेम भाव था पुनः आपस में प्रेम भाव है।** कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा और अनुमत्ति पत्र में अपनी राजी खुशी से हस्ताक्षर किया।** कंडिका–7 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा के आधार पर केस समाप्त कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।**

अभियोजन साक्षी संख्या–03 मो0 तौहिद (सूचक का पुत्र) ने प्रति–परीक्षण के कंडिका–3 में साक्ष्य दिया है कि **सभी अभियुक्त मेरे परिवार के सदस्य है।** कंडिका–4 में साक्ष्य दिया है कि **विवाद के समय काफी लोग जुट गये थे और किसने किसको मारा मुझे मालूम नहीं है।** कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **घटना के पूर्व हमलोगों में आपस में प्रेम भाव था पुनः आपस में प्रेम भाव है।** कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा और अनुमत्ति पत्र में अपनी राजी खुशी से हस्ताक्षर किया।** कंडिका–7 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा के आधार पर केस समाप्त कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।**

अभियोजन साक्षी संख्या–04 मो0 तनवीर (सूचक का पुत्र) ने प्रति–परीक्षण के कंडिका–3 में साक्ष्य दिया है कि **सभी अभियुक्त मेरे परिवार के सदस्य है।** कंडिका–4 में साक्ष्य दिया है कि **विवाद के समय काफी लोग जुट गये थे और किसने किसको मारा मुझे मालूम नहीं है।** कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **घटना के पूर्व हमलोगों में आपस में प्रेम भाव था पुनः आपस में प्रेम भाव है।** कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा और अनुमत्ति पत्र में अपनी राजी खुशी से हस्ताक्षर किया।** कंडिका–7 में साक्ष्य दिया है कि **सुलहनामा के आधार पर केस समाप्त कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।**

17.7.26

16. अभियोजन पक्ष को साक्षियों के साक्ष्य हेतु कई मौके दिए जाने के बावजूद भी अभियोजन अन्य साक्षियों सहित चिकित्सक व अन्वेषण अधिकारी की गवाही कराने में असमर्थ रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जब तथ्य के साक्षियों ने ही अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है, वहां चिकित्सक व अन्वेषण अधिकारी का साक्ष्य कराया जाना औचित्यहीन प्रतीत होता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या–1 मो0 हारून (सूचक), अभियोजन साक्षी सं0–02 अफसाना खातून (सूचक की पत्नी), अभियोजन साक्षी सं0–03 मो0 तौहिद (सूचक का पुत्र) एवं अभियोजन साक्षी संख्या–4 मो0 तनवीर (सूचक का पुत्र) ने मुख्य परीक्षण में यद्यपि अभियोजन कथानक का आंशिक रूप से समर्थन किया है परंतु प्रतिपरीक्षण में समूचे साक्ष्य को ही मिटा दिया है तथा कथित घटना में अभियुक्तों की संलिप्तता को साबित नहीं

किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध मामले को साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तों दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

17. अतः साक्षियों के साक्ष्य के समग्र अवलोकन, परिशीलन तथा निष्कर्षण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

18. अतएव उपरोक्त विचारणीय सभी आठों अभियुक्तगण क्रमशः मो0 मोख्तार, रानी खातून, रौनक खातून, गजाला खातून, शाहजहाँ खातून उर्फ साजा खातून, रूकसाना खातून, मो0 मुस्ताक एवं मो0 जलील सभी साकिन–रहिमापुर, थाना–बिदुपुर, जिला–वैशाली को आरोपित भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147 / 149, 341 / 149, 323 / 149, 308 / 149, 504 / 149 एवं 506 / 149 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में, निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि सभी अभियुक्तगण जमानत पर है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण तथा उनके जमानतदारों के बंध–पत्र द0प्र0सं0 की धारा–437(क) के अंतर्गत निर्णय सुनाए जाने की तिथि से छः माह तक प्रवृत रहेंगे, तत्पश्चात वे बंध–पत्र के उत्तरदायित्व से उन्मुक्त होंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)
Harshit Singh
(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।
17.07.2026

लेखापित
Harshit Singh
(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।
17.07.2026